षोडश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-04.08.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स०	''बिहार राज्य में कुल 9660 लोक शिक्षकों द्वारा पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सी०डब्लू०जे०सी० 14493/2008 दायर की गई थी । दायर रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत शिक्षा मित्र व लोक शिक्षक को एकसमान मानते हुए बिहार के सभी लोक शिक्षकों के समायोजन का आदेश 27.03.2012 को दिया गया था, लेकिन आज तक उक्त लोक शिक्षकों में से एक भी लोक शिक्षक का पंचायत शिक्षक में समायोजन नहीं होने के कारण लोक शिक्षकों को भुखमरी एवं आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है । अत: बिहार राज्य के कुल 9660 लोक शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंचायत शिक्षकों के रूप में समायोजन के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	शिक्षा

1	2	3	4
2.	श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री अमरनाथ गामी, स०वि०स० श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०	''बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गयी है । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक-02.08.2016 को दन्त चिकित्सकों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ा कर 67 वर्ष करने की घोषणा सदन में की गयी है । स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में फार्मेसी शिक्षा भी आता है लेकिन फार्मेसी के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष ही है । अत: फार्मेसी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष से बढ़ा कर 67 वर्ष करने के संबंध में हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	स्वास्थ्य

राम श्रेष्ठ राय
सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/16- 1756-1769 / वि०स०, पटना, दिनांक- अगस्त, 2016 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.8.16
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/16- 1756-1769 / वि०स०, पटना, दिनांक-03 अगस्त, 2016 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

3.8.16
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।